न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **34 / 2024** अपील (राजस्व)

GCMS No 2024/341

माधुलाल पिता शंकरलाल मेघवाल निवासीः लोसिंग, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री वरदा पिता भेरा मेघवंशी (मेघवाल) निवासीः लोसिंग, तहसी–बड़गांव, उदयपुर
2. श्रीमती मांगीबाई पुत्र भेरा, पत्नी भेरा निवासीः खटीक बस्ती, नेडच, तहसील–देलवाड़ा, जिला–राजसमन्द
3. दोलीबाई पुत्री भेरा पत्नी भेरूलाल निवासीः मेघवालों का मोहल्ला, सेमल, तहसील–देलवाड़ा, राजसमन्द
4. भूरीलाल पिता वरदा मेघवाल निवासीः लोसिंग, तहसी–बड़गांव, उदयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला–उदयपुर
6. उप पंजीयक बड़गांव, जिला–उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1408 दिनांक 21.03.2024

उपस्थित : 1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. अजयसिंह हाड़ा, अधिवक्ता वि.स. 2 से 4

निर्णय

दिनांकः– 11/05/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजस्व ग्राम लोसिंग, पटवार हल्का लोसिंग, भू अभिलेख निरीक्षक लोसिंग, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी संख्या 271, 273, 309, 325 व 326 में अंकित आराजीयात में शंकर पिता भेरा के नाम पर अलग अलग खातों में अलग अलग हिस्सा अंकित होकर कब्जे काश्त में होकर वर्तमान समय में उक्त खातों में शंकर पिता भेरा के नाम में अंकित हिस्से अनुसार आराजीयात पर अपीलान्ट का आधिपत्य चला आ रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा सुख–शान्तिपूर्वक काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपीलान्ट के परिवार का सजरा खानदान निम्नानुसार हैः–

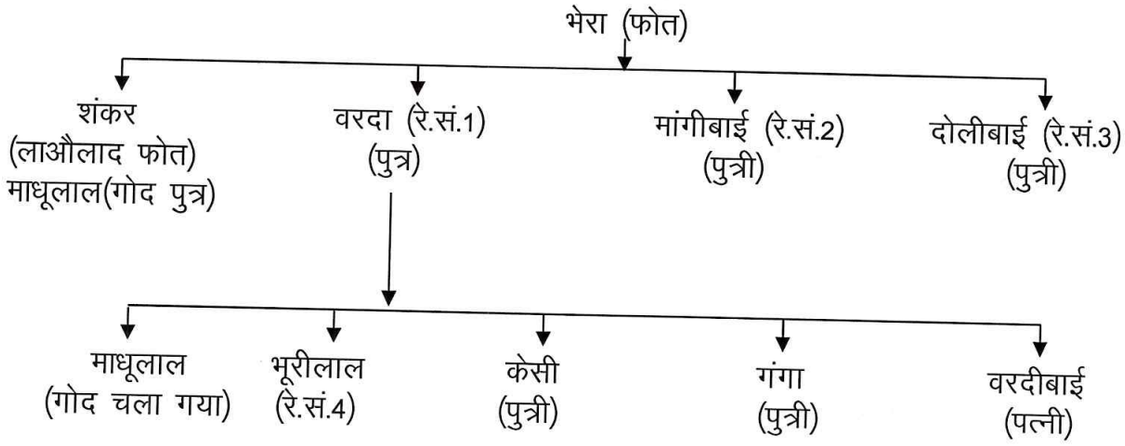

उपरोक्त वर्णित सजरा खानदान के माफिक अपीलान्ट के मूल पुरूष भेरा जी थे उनके दो पुत्र क्रमशः शंकर (फोत) व वरदा (रे.सं 1) व 2 पुत्रियां क्रमशः मांगीबाई (रे.सं 2) व दोलीबाई (रे.सं 3) हैं तथा वरदा के दो पुत्र क्रमशः माधूलाल (अपीलान्ट) गोद गया, तथा भूरीलाल (रे.सं. 4) है तथा दो पुत्रियां क्रमशः केसीबाई व गंगाबाई तथा पत्नी वरदीबाई हैं तथा मृतक शंकर लाऔलाद दिनांक 26–09–2019 को फोत हो गया लेकिन अपने जीवितकाल में ही उसने अपने छोटे भाई वरदा का ज्येष्ठ पुत्र माधूलाल को दो वर्ष की आयु में ही गोद ले लिया था जिससे मृतक शंकर ने माधूलाल (अपीलान्ट) को पालपोस कर शिक्षित कर विवाह करवाया इस प्रकार अपीलान्ट अपने जीवित काल में अपने बड़े पिता शंकर जी के गोद जाने की वजह से उनकी सेवासुश्रुषा करता रहा, तथा उनके फोत होने पर उनकी सारी उत्तरक्रिया अपीलान्ट द्वारा की गई इस वजह से मृतक शंकरलाल जी की चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र वारिस विरासत से अपीलान्ट माधूलाल है। इस प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का उपरोक्त वर्णित सजरा खानदान है। अपीलान्ट का व रेस्पोडेन्ट का अपने बाप दादाओं के वक्त से संयुक्त खानदान होकर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन मृतक शंकर के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी, इसलिए अपने भाई वरदा के पुत्र अपीलान्ट माधूलाल को गोद लिया तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित सभी आराजीयात में हिस्से अनुसार अपनी सुविधा अनुसार मृतक शंकर ने अपने जीवनकाल में ही मौके पर आराजीयात का विभाजन कर लिया, जिससे वर्तमान समय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट वादग्रस्त आराजीयात अलग अलग काश्त करते हुए सुख–शान्तिपूर्वक उपयोग– उपभोग कर रहे हैं। दिनांक 02–08–2024 को अपने वादग्रस्त आराजीयात पर कुछ अजनबी लोगों को अपीलाण्ट ने घूमते हुए देखा, इस पर उसने जानकारी ली तो भूमिदलाल होना जानकारी में आया, तथा भूमि को क्रय करने की मंशा बतायी, इस पर अपीलान्ट ने तुरन्त हल्का पटवारी से सम्पर्क किया व पूछा कि मेरे पिता मृतक शंकर जी की जमीन को मेरे नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित करनी है तो इस पर हल्का पटवारी द्वारा जानकारी मिली कि उसके पिता मृतक शंकर के नाम

जिला कलक्टर
उदयपुर

पर राजस्व रेकर्ड में कोई जमीन अंकित नहीं है जिस पर अपीलान्ट ने ईमित्र के जरिये राजस्व रेकर्ड से जानकारी प्राप्त की व तमाम प्रतिलिपियां दिनांक 08–08–2024 को प्राप्त हुई जिस पर राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया तो मृतक शंकर के नाम की कलम संख्या 1 में वर्णित सभी खातो की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मृतक शंकर को लाऔलाद बताकर अपने नाम पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1408 स्वीकृत दिनांक 21–03–2024 को करवा लिया। उक्त कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 4 में कपटपूर्ण आशय से अपने अशिक्षित पिता को मुगालते में रखकर उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। नाममारकरण संख्या 1408 दिनांक 21–03–2024 को स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात दूसरे दिन यानि दिनांक 22–03–2024 को नामान्तरकरण संख्या 1413 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित भूमि का हकत्याग पत्र के जरिये उनके खाते की सारी भूमि का सभी खातों में बनने वाला हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया तत्पश्चात् तुरन्त दूसरे दिन यानि दिनांक 23–03–2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने ऊपर वर्णित कलम संख्या 1 में अंकित सभी खातों की भूमि दान दानपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से अपने नाम पंजीकृत करवा लिया तथा जिसका नामान्तरकरण संख्या 1425 को दिनांक 03–06–2024 को स्वीकृत करवा लिया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने बदनियतीपूर्वक व कपटपूर्ण आशय से मृतक शंकर जी सारी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 1408 के जरिये नाम पर करवाने के पश्चात् व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपने नाम पर एवं अपने पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वरदा के नाम पर हकत्याग करवाकर सारी भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने बदयान्तिपुर्वक अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित करवा ली, और अब उक्त तमाम सभी खातों की भूमि को भूमि दलाल के जरिये विक्रय करने हेतु आमादा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पुत्र है, ने अपने अशिक्षित पिता को मुगालते में रखकर अपने पिता को यह कहकर कि आपके वृद्धावस्था की पेन्शन बनवा देता हूं यह कहकर दिनांक 03–04–2024 को उप पंजीयक कार्यालय में लाकर सारी भूमि का दानपत्र का पंजीयन करवा लिया इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने धोखा देकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सारी भूमि अपने नाम करवा ली। अपीलान्ट ने अपने पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वरदा से सम्पर्क कर निवेदन किया कि आपने सारी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम पर कैसे करवा दी, तो इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 06–08–2024 को एक शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक करवाकर यह अंकित किया कि मेरे को धोखा देकर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने सारी भूमि की रजिस्ट्री करवा ली है जिसको निरस्त की जावे। मृतक शंकर जी का अपीलान्ट गोद पुत्र है, तथा राजकीय सभी दस्तावेजात में अपीलान्ट के पिता के नाम पर मृतक शंकर जी का नाम अंकित है मृतक शंकर जी की चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र वारिस

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपीलान्ट ही है, इसलिए दिनांक 21–03–2024 स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1408 अपीलान्ट के मुकाबले अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी है इसलिए उसको खारिज फरमाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 1408 स्वीकृत दिनांक 21–03–2024 को खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को वर्णन करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लोसिंग, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर स्थित जमाबन्दी संख्या 271, 273, 309, 325 एवं 326 में दर्ज विभिन्न आराजीयात में शंकर पिता भेरा का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था, जिस पर वर्तमान में अपीलार्थी का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है तथा वह लम्बे समय से उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। मूल खातेदार भेरा के दो पुत्र शंकर एवं वरदा तथा दो पुत्रियां मांगीबाई एवं दोलीबाई थीं। शंकर लाऔलाद होने से उन्होंने अपने छोटे भाई वरदा के ज्येष्ठ पुत्र माधूलाल (अपीलार्थी) को बाल्यावस्था में गोद लेकर उसका पालन–पोषण, शिक्षा एवं विवाह कराया। अपीलार्थी ने अपने गोद पिता शंकर की जीवनभर सेवा–सुश्रुषा की तथा उनके निधन दिनांक 26.09.2019 के पश्चात समस्त उत्तरक्रिया भी सम्पन्न की। मृतक शंकर ने अपने जीवनकाल में ही सुविधा अनुसार भूमि का मौखिक विभाजन कर दिया था, जिसके अनुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट अलग–अलग भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। दिनांक 02.08.2024 को अपीलार्थी की भूमि पर कुछ भूमिदलाल सौदा करने हेतु घूम रहे हैं। इस पर राजस्व रिकॉर्ड निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने शंकर को लाऔलाद बताकर नामान्तरकरण संख्या 1408 दिनांक 21.03.2024 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 से हकत्याग करवाकर तथा बाद में दानपत्र के माध्यम से सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के नाम दर्ज करवा दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 ने अपने अशिक्षित पिता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को वृद्धावस्था पेंशन बनवाने का बहाना देकर धोखे से दानपत्र निष्पादित करवा लिया। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धोखे से भूमि हस्तांतरित होने का उल्लेख है। अपीलार्थी के अनुसार वह मृतक शंकर का विधिवत गोद पुत्र एवं एकमात्र उत्तराधिकारी है तथा विभिन्न राजकीय दस्तावेजों में भी उसके पिता के रूप में शंकर का नाम अंकित है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 1408 स्वीकृत दिनांक 21.03.2024 को खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
उदयपुर

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया अपील में वर्णित जमाबंदी खाता संख्या में अंकित आराजीयात मौजा लोसिंग पटवार हल्का लोसिंग तहसील बडगाँव में स्थित होना सही होने से स्वीकार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बड़े भाई शंकर पिता भेरा का नाम भी राजस्व रेकर्ड में अंकित होना स्वीकार होने से स्वीकार है तथा उसके हिस्से की जमीन पर अपीलान्ट माधुलाल का कब्जा होना सही होने से स्वीकार है। अपील में वर्णित सजरा खानदान सही होने से स्वीकार है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बड़े भाई शंकर पिता भेरा के लाऔलाद फौत हो जाना तथा फौत होने से पहले माधुलाल को गोद लिया जाना सहीं होने से स्वीकार है। उक्त माधुलाल की शिक्षा व शादी शंकर ने ही करवाई तथा शंकर के मरने के बाद उसका काज करियावर भी अपीलान्ट ने ही किया है। मृतक शंकर की जमीन पर अपीलान्ट माधुलाल द्वारा काश्त किया जाना सही होने से स्वीकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सही तथ्य बताये वगैर ही फर्जी लिखापढी कर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपने खाते करवा ली इसलिये उस खाते को (नामान्तरण) को खारिज किये जाने में रेस्पोडेंट संख्या 1 कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है आँखो से भी कम दिखता अक्सर अस्वस्थ भी रहता है इस वजह से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को यह कहा कि आपकी वृद्धावस्था की पेंशन बनवा देता हूं ऐसा कहकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को तहसील में लेकर गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अशिक्षित होने की वजह से उसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम की पेंशन बनवाने की बजाये हकत्यागनामा निष्पादित करवा दिया जो खारिज किया जावे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलान्ट द्वारा चाही गई दाद दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्व प्रथम अपीलाण्ट को यह साबित करना है कि अपीलाण्ट शंकर जी मेघवाल का गोदपुत्र है ना ही कि केवल और केवल नियमित वाद से ही साक्ष्य एवं दस्तोवाजत की कसौटी पर कसने के बाद ही साबित अथवा ना साबित हो सकता है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण की अपील एक सरसरी प्रक्रिया है जिसमें वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व अथवा खातेदारी हक अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील आप श्रीमान के समक्ष मिथ्या एवं आधारहीन कथन करे प्रस्तुत की है जो कि प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट ने गलत एवं विधि विरूद्ध ढंग से स्वयं को शंकर पिता भेरा जी का गोदपुत्र होना प्रकट किया है जबकि शंकर जी मेघवाल के कोई पुत्र–पुत्री नहीं थे उनका स्वर्गवास ला–औलाद हो गया था। शंकर जी मेघवाल ने ना तो कभी अपीलाण्ट को गोद लिया, ना कभी अपीलाण्ट गौद गया

जिला कलक्टर
उदयपुर

है। क्योकि अपीलाण्ट वरदा (रेस्पोडेण्ट संख्या 1) का ज्येष्ठ पुत्र है तथा ज्येष्ठ पुत्र को गोद लिया व दिया ही नहीं जा सकता है, ना ऐसी कभी कोई बात रही है। अपीलाण्ट ने ना तो शंकर जी ने पालपोश कर बडा किया, ना उसका विवाह किया और ना अपीलाण्ट ने शंकर जी मेघवाल की सेवा चाकरी ही की है। अपील में वर्णित सजरा शंकर जी की हद तक अस्वीकार है। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का ज्येष्ठ पुत्र है जो वादग्रस्त भूमि में केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का पुत्र होने के नाते ही अपने हक अधिकार रखता है। अपीलाण्ट ने शंकर जी मेघवाल की सम्पत्ति को हडपने के लिए अपने आधार कार्ड में षडयंत्रपूर्वक अपने पिता वरदा के बजाय शंकर मेघवाल दर्ज करवा लिया। जो कि पूर्णतया गलत एवं आपराधिक कृत्य होकर विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट के द्वारा कतिपय दस्तावेजो में पिता का नाम बदल लेने मात्र से अपीलाण्ट को शंकर जी मेघवाल का दत्तक पुत्र अथवा एकमात्र वारिस नहीं माना जा सकता है वादग्रस्त आराजीयात के एक ईन्च भूमि पर भी अपीलाण्ट का कब्जा शंकर जी मेघवाल के वारिस की हैसियत से नहीं है। यहा यह भी प्रकट करना अपेक्षित है कि अपीलाण्ट आये दिन परिवार में क्लेश व झगड़ा करके तनाव बनाता है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर सारी जमीन अपीलाण्ट के नाम करवाने का दबाव बनाता है इसी उद्देश्य से अपीलाण्ट ने अपने फर्जी फर्जी दस्तावेज बना रखे है तथा वर्ष 2022 मे भी वादग्रस्त जमीनों का एक भाग बिना कोई राशि दिये जबरन अपनी पत्नी बसन्ती बाई के नाम करवा लिया गया है तत्समय भी अपीलाण्ट के डर से परिवारजन चुप रहे। वास्तव में शंकर जी मेघवाल का स्वर्गवास ला–औलाद हो जाने के चलते उनके हक हिस्से की भूमि उनके भाई व बहनों के नाम दर्ज हुई जिसका नामान्तरण संख्या 1408 दिनांक 21.03.2024 को तस्दीक हुआ है जिनके आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व 3 के खातें में शंकर जी की जमीने दर्ज हुई तथा उक्त जमीन मे से आंशिक भाग रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व 3 ने अपनी स्वतंत्र सहमति से रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के पक्ष में जरिये पंजीकृत दान से अन्तरित किया है, जो कि पूर्णतया सही है। प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 1408 से कही भी अपीलाण्ट प्रभावित व्यक्ति नहीं है, क्योकि प्रश्नगत नामान्तरण पूर्णतया विधि सम्मत ढंग से तस्दीक हुआ है। अपीलाण्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नही है। सर्वप्रथम अपीलाण्ट प्रश्नगत नामान्तरण में पक्षकार नही होने की स्थिति में अपीलाण्ट को धारा 96 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके अपील प्रस्तुत करने बाबत् पूर्वानुमति आप न्यायालय से लिया जाना विधिक रूप से परम आवश्यक था जो कि कोई अनुमति अपीलाण्ट द्वारा नहीं ली गई ना ही अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना–पत्र ही प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में भी प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है तथा उक्त बाबत् रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत न्याय निर्णयन बेहद अनुकरणीय है। अपीलाण्ट फीस्कल प्रोसिडिंग के आधार पर न्यायालय के समक्ष झूठे कथन करके बिना साक्ष्य सबुत

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रस्तुत किये, बिना किसी ठोस आधार व प्रमाण के न्यायालय को गुमराह/भ्रमित करके रेस्पोडेण्ट्स की कीमती भूमि से अपीलाण्ट्स को वंचित करना चाहता है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा अपने कथनों की ताईद में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:–

1. RRT 2024(2) page 1048
2. RRT 2024(2) page 1044

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम लोसिंग पटवार हल्का लोसिंग तहसील बड़गांव के खाता संख्या 271, 273, 309, 325 व 326 में अंकित भूमि शंकर पुत्र भेरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। पत्रावली पर उपलब्ध सजरा अनुसार भेरा के विधिक वारिसान शंकर, वरदा, मांगीबाई, दोलीबाई थे जिसमे शंकर के लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की भूमि वरदा, मांगीबाई व दोलीबाई के नाम दर्ज की गई। अपीलाण्ट का अपील प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह है कि माधूलाल मेघवाल शंकर मेघवाल का गोदपुत्र होने से शंकर के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण माधूलाल के नाम से दर्ज किया जाना था किन्तु पत्रावली पर गोदनामा से सम्बन्धित कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1408 दिनांक 21.03.2024 में कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलार्थी माधूलाल सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गांव को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर